भारत सरकार

पंचायती राज मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2606

दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ

पेसा अधिनियम बनाना

2606. श्री राजकुमार रोतः

क्या **पंचायती राज** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने सभी राज्यों को पेसा (पीईएसए) अधिनियम के तहत नियम बनाने के निर्देश जारी किए थे और यदि हां, तो प्रत्येक राज्य द्वारा बनाए गए नियमों का ब्यौरा क्या है और ये नियम किन-किन तिथियों को लागू किए गए थे तथा तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है।

(ख) सरकार द्वारा देश में पेसा अधिनियम को ज़मीनी स्तर पर प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अब तक उठाए गए कदमों का और इसके तहत देश में गठित ग्राम सभाओं की संख्या का राज्य-वार सांख्यिकीय ब्यौरा क्या है।

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राजस्थान में पेसा अधिनियम के तहत पंचायती राज ग्राम पंचायत के सरपंच को ग्राम सभा का अध्यक्ष नामित किया गया है और इस कारण राज्य में पेसा अधिनियम का मूल उद्देश्य हासिल नहीं हो पा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या केंद्र सरकार का राज्य सरकार को महाराष्ट्र की तर्ज पर पेसा ग्राम सभा के लिए एक अलग अध्यक्ष चुनने का प्रावधान करने का निर्देश देने का विचार है और यदि हां, तो कब तक तथा यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पंचायती राज मंत्री

(श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह)

(क) जी हां, महोदय। संविधान के भाग-IX के प्रावधानों को पांचवीं अनुसूची क्षेत्रों पर विस्तारित करने के लिए, संसद ने, संविधान के अनुच्छेद 243M(4)(b) के अनुसार, "पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्रों पर विस्तार) अधिनियम, 1996" (पेसा) को, कुछ अपवादों और संशोधनों के साथ, अधिनियमित किया था। मंत्रालय ने वर्ष 2009 में मॉडल पेसा नियम तैयार किए तथा इन्हें सभी पेसा राज्यों को परिचालित किया। पेसा नियम बनाने के लिए, पंचायती राज मंत्रालय समय-समय पर पेसा राज्यों को परामर्श जारी करता रहता है। वर्तमान में 10 पेसा राज्यों में से 9 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और तेलंगाना (ओडिशा राज्य को छोड़कर) ने अपने पेसा नियम अधिसूचित कर दिए हैं। संबंधित राज्यों के ये राज्य पेसा नियम उन राज्यों के पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं तथा इस मंत्रालय की वेबसाइट पर निम्नलिखित लिंक पर भी उपलब्ध हैं: https://panchayat.gov.in/en/document-category/pesa-rules-framed-by-pesa-states/. संबंधित राज्यों द्वारा बनाए गए पेसा नियमों के अधिनियमन की तिथियाँ **अनुबंध-I** के रूप में संलग्न हैं।

(ख) 'पंचायत', "स्थानीय सरकार" होने के कारण, राज्य का विषय है और भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में राज्य सूची का एक हिस्सा है। पंचायतें संबंधित राज्य पंचायती राज अधिनियमों के माध्यम से स्थापित एवं संचालित होती हैं। राज्यों ने संविधान के प्रावधानों के अधीन रहते हुए अपने-अपने पंचायती राज अधिनियम बनाए हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी विषय, जिनमें ज़मीनी स्तर पर पेसा अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन शामिल है, संबंधित राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आते हैं। पंचायती राज मंत्रालय पेसा अधिनियम के अंतर्गत गठित ग्राम सभाओं की राज्यवार सांख्यिकीय जानकारी का रख-रखाव नहीं करता है।

राज्यों को सहयोग प्रदान करने हेतु, पंचायती राज मंत्रालय ने निम्नलिखित पहल भी की हैं-

(i) पहली बार, राज्यों में पेसा के कार्यान्वयन का ज़मीनी स्तर पर आकलन करने हेतु, मंत्रालय ने पेसा सूचकांक तैयार किया हैं, जो राज्य स्तर पर पेसा कार्यान्वयन के विभिन्न पहलुओं को समाहित करते हैं। इन सूचकांकों के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2024-25 हेतु पेसा राज्यों की रैंकिंग जारी की गई है। इस रैंकिंग का उद्देश्य राज्यों को अपने सुधार के क्षेत्रों का वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने तथा पेसा के कार्यान्वयन में विद्यमान कमियों को दूर करने में सहायता प्रदान करना है।

(ii) केंद्र प्रायोजित योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (आरजीएसए) के अंतर्गत, वर्ष 2022-23 से 2025-26 तक, राज्य, जिला एवं ब्लॉक स्तर पर पेसा के प्रमुख विषयों पर कुल 1,86,971 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है। वर्ष 2024-25 और 2025-26 में, 10 पेसा राज्यों में 630 राज्य-स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक तथा 25 राष्ट्रीय स्तरीय मास्टर प्रशिक्षक भी प्रशिक्षित किए गए हैं, जो आगे ज़मीनी स्तर पर प्रशिक्षण प्रदान कर सकते हैं।

(iii) पंचायती राज मंत्रालय सभी 10 पेसा राज्यों को पेसा के कार्यान्वयन हेतु आरजीएसए के अंतर्गत, समर्पित स्टाफ की नियुक्ति में भी सहयोग दे रहा है, जिसमें राज्य, जिला, ब्लॉक स्तर पर समन्वयक तथा ग्राम पंचायत स्तर पर मोबिलाइज़र शामिल हैं।

(iv) इसके अतिरिक्त, आरजीएसए के अंतर्गत, पंचायती राज मंत्रालय ने ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) ढांचे के भीतर पेसा-विशिष्ट ग्राम विकास योजनाओं की तैयारी को सक्षम बनाने हेतु पेसा-जीपीडीपी एकीकरण की पहल की है। परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए, कुल 65,738 पेसा ग्रामों ने अपनी पेसा-जीपीडीपी योजना तैयार की है। यह पोर्टल पेसा ग्राम सभाओं को अपनी विकास योजनाएँ डिजिटल रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे पारंपरिक शासन प्रणाली को सुरक्षित रखते हुए मुख्यधारा की योजनाओं के साथ अभिसरण सुनिश्चित होता है।

(v) मंत्रालय ने पेसा के प्रमुख विषयों पर हिंदी और अंग्रेज़ी में सात प्रशिक्षण मैनुअल तैयार किए हैं और ज़मीनी स्तर पर बेहतर प्रसार हेतु इन मैनुअलों का क्षेत्रीय भाषाओं, अर्थात् ओड़िया, गुजराती, तेलुगु, मराठी, तथा जनजातीय भाषाओं, अर्थात् भीली, मुंडारी, संथाली एवं गोंडी में अनुवाद किया गया है।

(ग) ग्राम सभा के अध्यक्ष की नियुक्ति/चयन का विषय संबंधित राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

राजस्थान राज्य ने सूचित किया है कि 'राजस्थान पंचायती राज (उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में उनके लागू होने के संबंध में उपान्तरण) नियम, 2011' के अनुसार ग्राम पंचायत के सरपंच को ग्राम सभा का अध्यक्ष नामित किया गया है। चूँकि पेसा क्षेत्र में ग्राम पंचायत का सरपंच भी उसी क्षेत्र से संबंधित होता है, अतः वे पेसा अधिनियम के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हैं।

(घ) जी नहीं, महोदय। यह विषय संबंधित राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है।

अनुबंध-।

'पेसा अधिनियम बनाना' के संबंध में लोक सभा में दिनांक 04.08.2026 को उत्तरार्थ अतारांकित प्रश्न सं. 2606 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

पेसा राज्य	पेसा नियम अधिसूचित करने की तिथि
आंध्र प्रदेश	24.03.2011
छत्तीसगढ	08.08.2022
गुजरात	17.01.2017
हिमाचल प्रदेश	26.03.2011
झारखंड	02.01.2026
मध्य प्रदेश	15.11.2022
महाराष्ट्र	04.03.2014
राजस्थान	01.11.2011
तेलंगाना	02 जून, 2014 को एक अलग राज्य बना। 2014 में आंध्र प्रदेश के पेसा नियम, 2011 को अंगीकार किया गया।